

2023/583
खायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प (24/11/23))

प्रकरण संख्या 529/23

दिनांक 01/06/2023

उपनाम

श्री तुलसीराम पुत्र उगमा मीणा सा0 खैरुणा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का टीठोड़ा जागीर भूअ.नि. खजूरी एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम खैरुणा प. ह. टीठोड़ा जागीर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 2, 3 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	प्रार्थी का नाम एवं ग्राम का नाम	तुलच्छा पुत्र उगमा मीणा सा0 खैरपुरा	तुलसीराम पुत्र उगमा मीणा सा0 खैरुणा

h
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी तुलसीराम पुत्र उगमा मीणा सा0 खैरुणा
- रक्षित पत्रावली।

h
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा